

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 21.10.22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच	597.240

कुल आवंटित राशि - रूपये पाँच करोड़ सतानवे लाख चौबीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक आगणन में आगणित राशि के उपरांत संशोधित बजट उपबंध रु. 9994.57 लाख (निन्यानवे करोड़ चौरानवे लाख सन्तावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।


(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

7. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतन, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी0 टी0 ई0-15/2013-14/170/बजट दिनांक 01.04.2014 एवं पत्रांक-26/बी0एस0जी0-01/2014/488/बजट दिनांक 18.12.2014 के आलोक में किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2023 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 146

राँची, दिनांक :- 21.10.22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/लोहरदग्गा/गोड्डा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सराय केला/देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 146

राँची, दिनांक :- 21.10.22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/अधीक्षक अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल-2, राँची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(हरेंद्र कुमार)
सहायक अभियंता


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02-मू-जल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच

पत्रांक 146 दिनांक 21.10.22 का अनुदानक

पशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ		विरुद्ध शीर्ष-07-		कुल योग	अ
	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल०पी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यावसायिक सेवाएँ	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रभार	कुल योग	अ		
1	2	3	4	0	50	60	0	0	0.000	0	0	0	80	0	16			
1	लघु सिंचाई अंचल-बाईबासा	विपन्न कोड 50S2702020050 1000101	50S2702020050 10110	50S2702020050 1000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S270202005 071000316	50S27020200 5071000323	50S270202000 5071000329	50S27020200 5071000333	50S270202005 071000334	50S270202005 071000337	50S270202005 071000442	50S270202005 071000760	80.620			
		पूर्व का आवंटन 76.470	0.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	1.700	1.200	0.000	80.620			
		अतिरिक्त आवंटन 36.840	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	37.140			
		कुल आवंटन 113.310	0.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	1.700	1.500	0.000	117.760			
2	लघु सिंचाई अंचल-राँची	पूर्व का आवंटन 110.000	0.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.200	2.030	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	113.880			
		अतिरिक्त आवंटन 47.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.400	0.000	47.790			
		कुल आवंटन 157.190	0.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.200	2.030	0.350	0.000	0.000	1.000	0.000	161.670			
3	लघु सिंचाई अंचल-हजारीबाग	पूर्व का आवंटन 101.432	0.000	0.000	0.300	0.600	0.470	0.200	0.000	0.150	0.000	0.050	1.000	0.450	104.652			
		अतिरिक्त आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200			
		कुल आवंटन 101.432	0.000	0.000	0.300	0.600	0.470	0.200	0.000	0.150	0.000	0.050	1.200	0.450	104.852			
4	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-राँची	पूर्व का आवंटन 196.610	0.000	0.250	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.750	0.100	198.460			
		अतिरिक्त आवंटन 68.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.250	0.000	68.850			
		कुल आवंटन 265.110	0.000	0.250	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	1.000	0.100	267.310			
5	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	पूर्व का आवंटन 200.000	0.000	0.000	0.050	0.250	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.300	0.600	0.200	201.550			
		अतिरिक्त आवंटन 75.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.200	75.650			
		कुल आवंटन 275.000	0.000	0.000	0.050	0.250	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.300	1.000	0.400	277.200			
6	लघु सिंचाई प्रमंडल-बाईबासा	पूर्व का आवंटन 156.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.500	0.900	0.000	158.900			
		अतिरिक्त आवंटन 125.160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	125.460			
		कुल आवंटन 281.160	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.500	1.200	0.000	284.360			
7	लघु सिंचाई प्रमंडल-बोकारो	पूर्व का आवंटन 220.000	0.000	0.000	0.100	0.450	2.136	0.000	2.100	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	225.386			
		अतिरिक्त आवंटन 60.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	60.300			
		कुल आवंटन 280.000	0.000	0.000	0.100	0.450	2.136	0.000	2.100	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	285.686			

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं मर्ग	विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यावसायिक सेवार्	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियो इंधन एवं मरम्मत	विरुद्ध शीर्ष-04-विविध प्रभार	शांति लाख का
कार्यालय का नाम	वेतन	पूर्व का वेतनादि	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यावसायिक सेवार्	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियो इंधन एवं मरम्मत	विरुद्ध शीर्ष-04-विविध प्रभार	कुल योग
विपन कोड	50S2702020050 1000101	50S2702020050 10110	50S2702020050 1000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S2702020050 01000316	50S2702020050 501000323	50S2702020050 501000329	50S2702020050 501000333	50S2702020050 01000334	50S2702020050 01000337	50S2702020050 01000442	50S2702020050 01000760
1	2	3	4	0	50	60	0	0	0.000	0	0	80	0
8	लघु सिवाई प्रमंडल-रामगढ़	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	200.000 60.830	0.000 0.000	0.250 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	2.100 0.000	0.100 0.000	1.500 0.000	0.800 0.200	0.000 0.000	204.750 61.030
9	लघु सिवाई प्रमंडल-लाहरदगा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	120.000 7.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.450 0.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.100 0.000	0.200 0.000	0.500 0.300	0.000 0.000	121.550 7.300
10	लघु सिवाई प्रमंडल-सिमडेगा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	160.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.450 0.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.100 0.000	0.000 0.200	0.500 0.500	0.000 0.000	161.850 0.400
11	लघु सिवाई प्रमंडल-हुसैनगढ़	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	140.000 87.620	0.000 0.000	0.200 0.000	0.250 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.300 0.800	0.000 1.500	142.550 87.920
12	लघु सिवाई प्रमंडल-लघु सिवाई प्रमंडल, सीधी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	190.000 25.000	0.000 0.000	0.250 0.000	0.500 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.500 0.000	1.100 0.200	0.100 0.000	193.390 25.200
	अतिरिक्त आवंटन का योग	593.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.550	0.000	0.200	3.150	0.200
	कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-												
	रू. पाँच करोड़ सत्तानवे लाख चौबीस हजार मात्र।												

नोट :- व्यावसायिक मद में राशि का आवंटन आउटसोर्सिंग द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में पड़े गये कम्प्यूटर ऑफ़िसर के भुगतान के लिए है। इस राशि का व्यय अन्य मदों में नहीं किया जाय।

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव